



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 2878 / FP/UK/ROAD/40975/2019: देहरादून: दिनांक: 12 जून, 2023
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय- जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव मण्डेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में।

सन्दर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० Sवी/यू०सी०पी०/०६/१२४/२०२१/एफ.सी./१२८८, दिनांक २८.१२.२०२१।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर ०४ बिन्दुओं पर सूचना आख्या चाही गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-२३४/१२-१, दिनांक २६.०५.२०२३ एवं पत्र सं०-६५६/१२-१, दिनांक-०१.१०.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या ०१ के अनुपालन में प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट-१ में सीम दस्तावेज की original प्रति सही प्रकार से scan कर अपलोड करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	आपत्ति	आख्या
1	राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट-१ में अपलोड किये गये सभी दस्तावेज सही तरीके से scanned नहीं किये गये हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि सभी दस्तावेज की original प्रति सही प्रकार से scan कर अपलोड करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-२३४/१२-१, दिनांक २६.०५.२०२३ एवं पत्र सं०-६५६/१२-१, दिनांक-०१.१०.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या ०१ के अनुपालन में प्रस्ताव ऑनलाईन पोर्टल पर पार्ट-१ में सीम दस्तावेज की original प्रति सही प्रकार से scan कर अपलोड कर दी गयी है।
2	राज्य सरकार द्वारा अपलोड की गयी के०एम०एल फाइल से प्रतीत होता है कि ग्राम पूर्व में ही मार्ग से जुड़ा हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-२३४/१२-१, दिनांक २६.०५.२०२३ एवं पत्र सं०-६५६/१२-१, दिनांक-०१.१०.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या ०१ के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त ग्राम पूर्व में किसी भी मार्ग से नहीं जुड़ा है।
3	उपलब्ध समस्त road network को के०एम०एल० पर दर्शाई नहीं किया गया है अतः आपसे अनुरोध है कि उपलब्ध समस्त road network के०एम०एल० पर दर्शा कर अपलोड करने का कष्ट करें।	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-२३४/१२-१, दिनांक २६.०५.२०२३ एवं पत्र सं०-६५६/१२-१, दिनांक-०१.१०.२०२२ द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त road network को के०एम०एल० पर दर्शा कर ऑनलाईन पार्ट-१ में अपलोड कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव के अदलाकन के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि alternatives का भी उचित परीक्षण नहीं किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि alternative का भी उचित परीक्षण कर पूर्ण जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।	अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग के ०२ alignment का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें रवीकृत alignment को लाल रंग से दर्शाया गया है। मोटर मार्ग के alternatives alignment को नीले रंग से दर्शाया गया है। मोटर मार्ग के alternatives alignment में ग्रामवासियों की नाप भूमि पड़ने के कारण एवं उनकी आरथ का केन्द्र श्री मण्डेश्वर मंदिर नहीं जुड़ने के कारण समरेखण विवाद किया गया। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि रवीकृत मोटर मार्ग मात्र २.०० कि०मी०

	लम्बाई में स्वीकृत है और alternatives alignment की लम्बाई 2.10 कि०मी० आ रही थी, जिस कारण स्वीकृत alignment जिसकी लम्बाई 1.825 कि०मी० है, को 02 एच०पी० बैण्ड पडने के बावजूद भी स्वीकृत करना पडा क्योंकि उक्त स्वीकृत alignment श्री भण्डेश्वर मंदिर को जोड़ते हुये गांव को जोड़ता है।
--	--

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-234/12-1, दिनांक 26.05.2023 एवं पत्र सं०-656/12-1, दिनांक-01.10.2022 द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

सबदीय,

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 2878/ FP/UK/ROAD/40975/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं-234/12-1, दिनांक 26.05.2023 एवं पत्र सं०-656/12-1, दिनांक-01.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

(एस०एस०रसाईली)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन
संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वे